न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/ 09/2020

मॉगीलाल पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई जिला भरतपुर

....अपीलान्ट

बनाम

1–सोहनलाल । पुत्र प्रभुदयाल जाति ब्राहम्ण निवासी करही तहसील नदबई
2–सतीश । जिला भरतपुर
3–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई

.....रेस्पो0

अपील अन्तर्गत धारा 225 राज. काश्तकारी अधिनियम विरुद्ध निर्णय दिनांक 18.7.2019 न्यायालय तहसीलदार नदबई उनवानी सोहनलाल बनाम सरकार, कमांक/एल.आर./19/3570 दिनांक 18.7.2019

उपस्थितः–
1–श्री कृष्णकुमार सिघंल, अभिभाषक अपीलान्ट,
2–श्री पुरुषोत्तम मुदगल अभिभाषक, रेस्पो.1
3–पैरोकार सरकार

आदेश **दिनांक 12.7.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो. व खिलाफ आदेश निर्णय दिनांक 18.7.2019 न्यायालय तहसीलदार नदबई पेश की गई है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2019 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के नियम 53 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर तहसीलदार नदबई द्वारा विभाजन स्वीकार किया गया है। उक्त आदेश से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण की तलवी की गई। अप्रार्थी नं. 1 की ओर से एडवोकेट पुरुषोत्तम मुदगल का वकालतनामा पेश किया गया। अप्रार्थी न. 2 बाबजूद सूचना उपस्थित नहीं आया । अप्रार्थी न. 2 की ओर से जबाब पेश हुआ, जो शामिल पत्रावली किया गया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिभाषक अपीलान्ट ने अपने तर्कों में अपील अंकित तथ्यों को दोहराते हुये बताया कि रेस्पो. द्वारा आराजीयात खसरा नम्बरान कुल किता 22 रकवा 8.59 हैक्टेयर बाके ग्रांम करही तहसील नदबई के आपसी सहमती के आधार पर बटवारे के लिये प्रार्थना पत्र तहसीलदार नदबई के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। बटवारे के प्रार्थना पत्र पर हल्का पटवारी एवं गिरदावर द्वारा दिनांक 17.7.2019 को अपीलान्ट व रेस्पोडेन्टान के पृथक पृथक कुरे बनाकर प्रस्तुत किये गये थे। योग्य अभिभाषक अपीलान्ट का तर्क है कि विवादित आराजीयात

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

कुल रकवा 8.59 हैक्टेयर है जिसमे अपीलान्ट व रेस्पो 1 व 2 प्रत्येक 1/3 –1/3 हिस्से के खातेदार दर्ज है, इसके मुताविक प्रत्येक खातेदार को 2.86 है0 हिस्सा आना चाहिये परन्तु राजीनामा बटवारे के अनुसार प्रार्थी अपीलान्ट को केवल 2.74 है0 रकवा बटवारे में दिया है जो लगभग 12 ऐयर रकवा कम है, सोहनलाल को 3.04 है0 जो लगभग 18 ऐयर ज्यादा है इसी प्रकार सतीश को 2.81 है0 रकवा दिया गया है जो 5 ऐयर कम है। अधीनस्थ न्यायालय ने बटवारे में रकवा कमी वेशी विभाजित किया है, जब कि नियमानुसार तीनों को बराबर बराबर हिस्सा मिलना चाहिये था, तहत न्यायालय ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। तहत न्यायालय ने कुरे बनाते समय आराजीयात पर पहुंचने के लिये रास्ते पर ध्यान देना चाहिये था। तहत न्यायालय ने केवल 1 व 2 नम्बरों की बाबत ही नजरी नक्शा बनाया गया है जबकि समस्त नम्बरान का नजरी नक्शा बनाना चाहिये था। राजस्थान काश्तकारी (राजस्व मण्डल) नियम 155 के तहत नियम 18 से 21 की पालना नहीं की गई है। योग्य अभिभाषक का यह भी तर्क है अपीलान्ट ने विभाजन हेतु कोई सहमति नहीं दी गई थी, क्यों कि पक्षकारान के मध्य एक नियमित वाद उनवानी मांगीलाल बनाम सोहनलाल न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई विचाराधीन है जिसमें पक्षकारान नियमित रुप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अपीलाधीन आदेश की अपीलान्ट को कोई जानकारी नहीं थी, रेस्पो संख्या 1 ने दिनांक 3.8.2020 को अपीलान्ट की जमीन मनवट खसरा नम्बर 1778 रकवा 10 ऐयर पर जबरन कब्जा करने की धमकी देने पर हुई। रेस्पो ने अपीलान्ट को धोखे में रखकर पटवारी हल्का से मिलीभगत कर क्रेडिट कार्ड के बहाने कोरे कागजों पर विभाजन सहमति पर हस्ताक्षर कराकर अपीलाधीन आदेश पारित करा लिया है। धमकी देने की दिनांक 3.8.2020 से अपील अन्दर म्याद पेश की गई, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम पेश किया गया है। अपील स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई।

योग्य रेस्पो0 अभिभाषक ने अपने तर्कों में जाहिर किया कि तहत न्यायालय ने तीनों भाई मांगीलाल, सोहनलाल व सतीश को बुलाकर गवाहों के समक्ष सहमति से बंटवारा कराया हैं, और उसी दिन सोहनलाल व सतीश ने दानपत्र भी मांगीलाल के हक में कराया है एवं तीनों बहिनों ने बराबर बराबर तीनों भाईयो को रिलीजडीड कराई है। दान पत्र और रिलीजडीड द्वारा सभी को समान भूमि दी गई है। योग्य अभिभाषक रेस्पो का कहना है कि मांगीलाल की उपस्थिति में कुरेजात बनाये गये हैं, तीनों भाईयो ने बैंको से के.सी.सी. ऋण प्राप्त कर रखा है, सभी की जमीन बैंक में गिरवी रखी हुई होने से बैंक को पक्षकार बनाया जाना आवश्यक था जो अपीलान्ट ने बैंक को पक्षकार नहीं बनाये जान से अपील में नोन ज्वाईन्डर आफ पार्टीज के दोष से ग्रसित होने के कारण अपील काबिल खारिज के रहती है। अपीलान्ट को अपीलधीन आदेश की जानकारी 24.6.2019 को थी कि हमारा बटवारा हो चुका है, बटवारे पर सभी की फोटो लगे हुये हैं अपीलान्ट ने गवाह के समक्ष अपने सहमति के हस्ताक्षकर किये हैं। अगर अपीलान्ट को कोई आपत्ति थी तो उसे उसी समय करनी चाहिये थी। अपील को देरी से पेश करने प्रार्थना पत्र धारा 5 म्याद अधिनियम में कोई संतोषजनक कारण अंकित नहीं किये हैं। योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने अपील अपीलान्ट खारिज किये जाने की प्रार्थना की है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2019 का अवलोकन किया गया।

.....3

अपील में मुख्य रुप से निम्न बिन्दू तैय किये जाने हैं :–

1– आया अपील म्याद बाहर होने से खारिज योग्य है?

2– आया अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2019 बटवारे में बनाये गये कुरों में रकवा कम ज्याद दर्ज किया गया है, जो नियमों के विपरीत है?

1– राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के नियम 53 के अनुसार आपसी समझौते के आधार पर तहसीलदार नदबई द्वारा विभाजन स्वीकार किया गया है। प्रथमतः अपील की म्याद बिन्दू पर विचार किया गया ।

आर.आर.डी. 1998 पेज 319 में प्रतिपादित किया है कि :–

Limitation Act, 1963, S.5 - Dismissal of appeal by lower appellate court on ground of limitation without looking into merits of the case - Legality of-Held, now it msut be taken as well settled Principal of law that before rejecting applications u/s 5, and dismissing appeals as time-barred, Courts of law are required to put a glance as a condition precedent on merits of appeal and unless appeals are found to be hopelessly devoid of merits, ordinarily efforts should be made to decide appeals on merits. (Para 19)

आर0बी0जे0(4)1997 पेज 257, माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर ने प्रतिपादित किया है कि :–

" Liberal view should be Taken in Condoning The Dely in Filling the appeal"

उपर्युक्त नजीर के परिप्रेक्ष्य में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 को स्वीकार किया जाकर अपील की देरी को माफ करते हुये प्रकरण की मैरिट पर विचार किया गया।

2– अपीलाधीन आदेश दिनांक 18.7.2019 बटवारानामा का अवलोकन से जाहिर है कि पक्षकरान द्वारा प्रस्तुत किये गये बटबारानामा में आराजी खसरा नम्बर 1091/0.25, 1100/0.29, 1417/0.12, 1418/0.09, 1419/0.07, 1773/0.69, 1776,/0.97, 1778/0.22, 1782/0.31,1783/0.33, 1785/0.46, 1855/0.46, 2087/0.41, 2088/0.40, 2089/0.01, 2090/0.72, 2180/0.59, 2181/0.43, 2186/0.29, 2194/0.50, 2195/0.01, 2196/0.98, किता 22 रकवा 8.59 है0 में मांगीलाल पुत्र प्रभूलाल 1/3 हि0, सतीश पुत्र प्रभूदयाल 1/3 हि0, सोहनलाल पुत्र प्रभूदयाल 1/3 हि0, जाति ब्राहम्ण सा0 करही खातेदारान ने आपसी सहमति के आधार पर भूमि के बटाबरा चाहा गया है। नियमों के हिसाब से प्रत्येक खातेदार को बहिस्सा बराबर यानि प्रत्येक खातेदार को कुल रकवे 8.59 है0 में 1/3 हिस्से के हिसाब से 2.86 है0 रकवा प्रत्येक खातेदार बटवारे (कुरे) में आना चाहिये था। जब कि अपीलान्ट मांगीलाल हिस्सा (कुरे) में 2.74 है0 रकवा ही दिया गया है, जो मुताविक हिस्सा 12 ऐयर रकवा कम आया है। सोहन लाल के हिस्सा कुरा में 3.04 है0 एवं सतीश के हिस्सा कुरा में 2.81 है0 रकवा दर्ज किया गया है। पटवारी, गिरदावर द्वारा बनाये गये कुरों में रकवा कमी वेशी करने का कोई कारण अपीलाधीन आदेश में अंकित नहीं किया गया है। तहत न्यायालय ने भी नियमों को नजर अन्दाज करते हुये केवल पटवारी एवं गिरदावर द्वारा प्रस्तुत कुरों के आधार पर बटबारा स्वीकार किये जाने का आदेश पारित कर दिया गया है जो नियमों के विपरीत रहता है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश को हम समर्थन योग्य नहीं पाते हैं।

.....4

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज.)

अपील की मद नम्बर 6 में कथन किया है कि ''..... अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्टान के मध्य एक नियमित वाद उनवानी मांगीलाल बनाम सोहन लाल न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई के समक्ष प्रस्तुत किया हुआ है उक्त वाद में अपीलान्टान व रेस्पोडेन्टान नियमित रुप से प्रोटेस्ट कर रहे हैं.....।'' इससे यह स्पष्ट है पक्षकरान के मध्य विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में दावा विचाराधीन है, उक्त दावा में तनकीयात कायम की जाकर साक्ष्य सबूत वगे. पक्षकारान के हक हकूक तैय होने हैं। ऐसी स्थिति में पक्षकारान के मध्य मुकदमे बाजी का बढ़ावा ना मिले हम यह उचित समझते हैं कि अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जाकर तहसीलदार को आदेशित किया जावे कि वे विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावा के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

अतः आदेश है कि :–

उपर्युक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है। तहसीलदार नदबई द्वारा पारित आदेश क्रमांक /एलआर/19/3570 दिनांक 18.7.2019 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे विवादित आराजी को लेकर सक्षम न्यायालय में विचाराधीन दावा के निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करें, निर्णय प्रति के साथ पत्रावली तहत तहसीलदार नदबई को लोटाई जावे।

निर्णय आज दिनांक 12–7–2022 को लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(आलोक रंजन)
जिला कलक्टर,
भरतपुर